न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः –71/2016 प्रार्थना पत्र

GCMS No.–2016/00275

1. प्रेमी बाई पुत्री उदा जी पत्नि नानूराम गुर्जर निवासी बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

प्रार्थिया

बनाम

1. कंचनबाई पुत्री उदा जी पत्नि देवीलाल गुर्जर निवासी बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. शान्ताबाई पुत्री उदा जी पत्नि डालु गुर्जर निवासी बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. सोहनीबाई पुत्री मांगु जी पत्नि धन्ना गुर्जर निवासी बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. हमेरीबाई बेवा मांगु गुर्जर निवासी बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा एवं पदेन उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज०

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल चपलोत – अधिवक्ता प्रार्थिया

:: निर्णय :: दिनांक :– 27.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया एवं विपक्षीगणों की पैत्रिक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 517 के आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे०मु०चाह०, आराजी नम्बर 1126 रकबा 1.6700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 518 की आराजी नम्बर 1214 रकबा 0.5800 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थिया एवं विपक्षी क्रमांक 1 से 4 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात होकर प्रार्थिया के दादा गब्बा जी के जमाने से चली आ रही है। गब्बा जी का देहान्त सेटलमेन्ट से पुर्व हो गया था। गब्बा जी के देहान्त के बाद परिवार के कर्ता खानदान उनके बड़े पुत्र मांगु जी हुए तथा प्रार्थिया के पिता उदा जी गब्बा जी के देहान्त के समय नावालिग थे व छोटे थे। इसलिए गब्बा जी के देहान्त के बाद मांगु जी के परिवार के कर्ता खानदान होने की वजह से मांगु जी ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर राजस्व रेकार्ड में बड़े पुत्र होने की वजह से वादग्रस्त गब्बा जी की समस्त आराजीयात अकेले अपने नाम दर्ज करा ली जबकि वादग्रस्त आराजीयात में गब्बा जी के पुत्र मांगु जी व उदा जी का गब्बा जी की सम्पत्ति में 1/2– 1/2 हिस्सा था। और इसी अनुसार मौके पर मांगु जी व उदा जी अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थिया के पिता उदा जी का देहान्त अभी हाल ही में करीब आठ वर्ष पूर्व हो गया है। उदा जी के वारिस प्रार्थिया एवं विपक्षी कमांक 1 व 2 है तथा मांगु जी का देहान्त करीब 10 वर्ष पूर्व हो

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:42:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

गया है। मांगु जी के वारिस विपक्षी कमांक 3 व 4 है। प्रार्थिया ने विपक्षीगण को अपने दादा गब्बा जी की पुश्तैनी आराजीयात में प्रार्थिया के पिता उदा जी का 1/2 हक हिस्सा होने से तथा वादग्रस्त भूमि विपक्षी कमांक 3 व 4 के नाम दर्ज हो जाने से पुनः प्रार्थिया एवं विपक्षी कमांक 1 व 2 के नाम खातेदारी में घोषित कराकर प्रार्थिया का उदा जी के 1/2 हक हिस्से में से 1/3 हक हिस्सा यानि 1/6 हक हिस्सा खाता संख्या 517 में व खाता संख्या 518 में 1/12 हक हिस्सा प्रार्थिया के नाम खातेदारी में घोषित कराकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु विपक्षीगण को कहा तो विपक्षीगण टालचाल कर रहे है और वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया के नाम घोषित कराने से इन्कार हो गये है इसलिए प्रार्थिया वादग्रस्त आराजीयात में खाता संख्या 517 में 1/6 हक हिस्सा एवं खाता संख्या 518 में 1/12 हक हिस्सा घोषित कराने की अधिकारी है।

3. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थिया एवं विपक्षीगण की संयुक्त स्वामीत्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजयात है तथा खाता संख्या 517 में प्रार्थिया एवं विपक्षी कमांक 1 व 2 के पिता उदा जी का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी क्रमांक 3 के पिता व 4 के पति मांगु जी का 1/2 हक हिस्सा है। तथा उदा जी के 1/2 हिस्से में से प्रार्थिया का 1/3 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा प्रार्थिया का एवं 1/6– 1/6 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 1 व 2 का है। तथा विपक्षी कमांक 3 व 4 का संयुक्त 1/2 हिस्सा हैं तथा खाता संख्या 518 में प्रार्थिया के पिता उदा जी का 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/4 हक हिस्सा है। और उक्त 1/4 हक हिस्से में से 1/3 यानि 1/12 हक हिस्सा प्रार्थिया का एवं 1/12 1/12 हक हिस्से विपक्षी 1 व 2 का है तथा 1/4 हक हिस्सा संयुक्त विपक्षी कमांक 3 व 4 का है तथा 1/2 हक हिस्सा है। इसी अनुसार मौके पर प्रार्थिया एवं विपक्षीगण अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थिया ने वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थिया का अपने हक हिस्से व कब्जे की भूमि प्रार्थिया के नाम खातेदारी में घोषित कराकर वादग्रस्त भूमि का अपने हक हिस्से अनुसार बटवाडा बाई मिड्स एण्ड बाउण्डस कराकर अलग खातेदारी में दर्ज कराने हेतु विपक्षीगण को कहा तो विपक्षीगण टालचाल कर रहे है और बटवाड़ा कराने से इन्कार हो गये है तथा प्रार्थिया के हक हिस्से व कब्जे से इन्कार हो गये है तथा प्रार्थिया को उसके हक हिस्से व कब्जे की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी कमांक 3 व 4 के नाम दर्ज हो जाने से विपक्षीगण दिगर लोगो के सिखावे में आकर वादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरण, रहन, बय, बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तान्तरीत करना चाहते है तथा प्रार्थिया एवं गावं के मौतबीर व्यक्तियो द्वारा समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है। इसलिए प्रार्थिया विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने की अधिकारी है।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 3,4 व 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 1,2 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने हेतु सहमति प्रदान की तथा अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाने हेतु निवेदन किया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:42:40 IST
Reason: SelfAttested

6. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है । हमने विद्वान

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया एवं विपक्षीगण की शामलाति खातेदारी भूमि हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में साबित हुए हैं। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेशः–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके मौजा बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 517 के आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे० मु०चाह०, आराजी नम्बर 1126 रकबा 1.6700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 518 की आराजी नम्बर 1214 रकबा 0.5800 हैक्टेयर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:42:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner